न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 27/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 लक्ष्मणसिंह, पुत्र अदरसिंह के का0मु0 सरदारसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी वीरमपुरा तहसील बाली		1 रताराम पुत्र भीकाजी जाति मेगवाल निवासी भन्दर तहसील बाली 2 सकाराम पुत्र छोगाराम जाति मेगवाल निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली 3 मोहनलाल पुत्र मनाराम जाति मेगवाल निवासी वीरमपुरा तहसील बाली 4 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 6.9.2018

,अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 08/2013 लक्ष्मणसिंह के का0मु0 सरदारसिंह बनाम रताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम भन्दर के पुराने खसरा नम्बर 983 जिसके नये खसरा नम्बर 321, 321/1 व 321/2 की भूमि पर अपीलाण्ट के पिता लक्ष्मणसिंह पुत्र अदरसिंह का उनके जीवनकाल में कब्जा काश्त रहा है। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के पश्चात इस भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काश्त चला आ रहा है। आवंटन कमेटी द्वारा उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम कर दिया है, जबकि उक्त भूमि आवंटन हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उपलब्ध ही नहीं थी। अपीलाण्ट को जब उक्त आवंटन की जानकारी हुई, तो अपीलाण्ट द्वारा अंधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय रूप से राजस्व लोक अदालत में जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात् का किसी प्रकार का अवलोकन नहीं किया तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किया है। कैम्प में प्रकरणों की संख्या दर्शाने की मंशा से विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है। आवंटन कमेटी द्वारा उसी स्थिति में आवंटन किया जा सकता है, जब आवंटन योग्य भूमि मौके पर खाली एवं निर्विवादित रूप से उपलब्ध हो, जबकि इस प्रकरण में जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट एवं उनके पिता काबिज काश्त थे। इस तथ्य की पुष्ठि खसरा परिवर्तनशील आदि दस्तावेजात् से होती है। जिससे यह साबित होता है कि जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट एवं उनके पिता का कब्जा काश्त रहा है। आवंटन फार्म को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मात्र आवंटन की खानापूर्ति ही की गई है। उक्त आवंटन फार्म में तस्दीक पटवारी के पूरे कॉलम खाली है। वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं था, नोशनल शेयर से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में भूमि आती थी, जो पटवारी हल्का द्वारा अंकित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वांछित भूमि की भौतिक प्रस्थिति बाबत कॉलम में भी कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। वक्त आवंटन से जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। इसके अतिरिक्त आवंटन नियमन कमेटी द्वारा नियम 5, 6, 7, 8 एवं 14 की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 06.07.2012 के द्वारा, बेचान किया जा चुका है। जबकि उक्त भूमि पर न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त रहा है तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना कब्जे की भूमि का बेचान हस्तान्तरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया, किन्तु जब निर्णय पारित किया गया, तब अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में नियमानुसार आवंटन की अनुशंषा करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 87 तथा आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 369 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर आवंटन किया गया है। वक्त आवंटन से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन नियमों की पालना की है, जिसके कारण आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात उसके द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान किया गया है। वर्तमान में मौके पर बतौर खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 काबिज काश्त है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर किसी भी रूप में कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाण्ट ने यह कथन किया कि वक्त आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भूमिहीन नहीं था। उसके द्वारा इन कथनों के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, अब दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते है, जो विधि अनुसार नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा आवंटन के 30 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दोनों पक्षों की उपस्थिति में पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण बीमार होना बताया, किन्तु इन तथ्यों के सम्बन्ध में बीमारी का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। जैर अपील वादस्थ भूमि दो बार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान हो चुकी है। अपीलाण्ट जिस दस्तावेज को रेकर्ड पर प्रस्तुत करना चाहते है, वे सुसंगत दस्तावेज की परिभाषा में शुमार नहीं होने के कारण रेकर्ड पर लिए जाने योग्य नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर रेंस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित माना है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 1299, आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 835, आर0आर0डी0 1987 पेज 235, आर0आर0डी0 1996 पेज 500, आर0आर0डी0 1986 पेज 137 तथा डी0एन0जे0 (राज) पेज 592 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 14.07.2015 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2016 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 6 माह से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण अपीलाण्ट का बीमार होना बताया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कराने का निवेदन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर देखा जाता है, तो निम्न स्थिति प्रकट होती है कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ग्राम भन्दर के खसरा नमबर 983 रकबा 6 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। खसरा नम्बर 983 के हाल नम्बर 321/2 रकबा 0.8600 हैक्टेयर की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि थी। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पृथक पृथक विक्रय विलेखों के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को बेचान कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होना दर्शाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन अपास्त कराने का अनुतोष चाहा। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 1299 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान भू राजस्व (सरकारी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 नियम 14 (4) आवंटन का निरस्त करना – आवेदन खारिज किया। द्वितीय आवेदन भी खारिज किया – अपील खारिज हुई – भूमि दिनांक 22.11.1975 को आवंटित हुई और अब खातेदारी अधिकार अर्जित किये – 24.09.1988 को प्रथम आवेदन खारिज होने के आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं की – अपील में विलम्ब हेतु कारण दर्शाया कि आलोच्य आवंटन होना 27.01.1998 को जानकारी में आया– प्रकथन कुचेष्ठाकारी है–आवंटन के 23 वर्ष बाद अपील पेश की, जो कि जानकारी में था तथा यह कालबाधित थी–अन्यथा भी अपीलाण्ट एक अतिक्रमी था और ऐसी भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है – आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर आवंटन किया–आवंटी भूमिहीन सद्भावी कृषक था–निर्णीत, अपील गुणावगुणहीन है व खर्चे सहित खारिज की।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 834 में प्रतिपादित किया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात नियम 14 (4) के तहत आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि को लेकर प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजों द्वारा आवंटन/नियमन हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, ऐसे तथ्य भी रेकर्ड पर नही है तथा न ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। वर्ष 1983 में रताराम को आवंटन किया जा चुका था एवं कब्जा भी सुपुर्द किये जाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में बतौर गेर खातेदार इन्द्राज किया गया तथा आवंटन नियमों की पालना करने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात सिलसिलेवार अन्तरित होकर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम बतौर खातेदार दर्ज की गई। आर0आर0डी0 1986 पेज 137 में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने पर आवंटी को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उसे प्रदत्त किये गये है, जिसमें एक अधिकार यह भी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल नही किया जा सकेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upen the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners eith respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after theconferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights.the petitioners acwuired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions og Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी आवंटन के लगभग 30 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया है। इन समस्त तथ्यों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 08/2013 लक्ष्मणसिंह के का0मु0 सरदारसिंह बनाम रताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 6.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली